राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

20/6/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2018 के तहत निस्तारण हेतु पेश हुई। प्रार्थी मोहनलाल मय अधिवक्ता [illegible] प्रार्थी मोहनलाल का [illegible] पेश [illegible]

[illegible]

[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
103/2014/वाद पत्र	16.09.2014	20.06.2018

उनवान

1–5 रामकरण,मोहन,रामचन्द्र,महादेव,चान्दू पिता खाना चमार नि0 समेलिया तहसील शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

1– नारायण पिता भेरू चमार नि0 नि0 समेलिया तह0 शाहपुरा (मृतक)
1/1 महावीर पुत्र नारायण चमार नि0 समेलिया तह0 शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री लालाराम गुर्जर : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम समेलिया प0ह0 समेलिया तहसील शाहपुरा मे खाता संख्या 268 आ0न0 1403 रकबा 0.14 है0, आ0न0 1403/2148 रकबा 0.25 है0, आ0न0 1404 रकबा 0.62 है0 कुल किता 03 रकबा 1.01 है0 होकर वादीगणों के कब्जे काश्त एंव बिना किसी प्रकार की बाधा के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 पेरा नं0 1 मे वर्णित आ0न0 1403/2148 रकबा 0.25 है0 पर नाजायज कब्जा करने की नियत से धमकी देता है। वादीगण के खाते की आ0न0 1403/2148 रकबा 0.25 है0 के उत्तरी दिशा अतिक्रमण करते हुये कुछ हिस्से पर नाजायज ताकत के बल पर कब्जा कर लेने से पत्थरगढ़ी कराने का प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 126/2012 है। निर्णय दिनांक 10.12.2012 को हो जाने से आदेश की पालना मे दिनांक 31.05.2014 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पत्थरगढी की जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया। जिसके अनुसार प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा पाया गया। यदि प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त आराजी का कब्जा वादीगण को नही दिलाया गया तो भूखे मरेगें और अधिक नुकसान होगा। प्रतिवादी संख्या 1 लड़ाकू एवं खूंखार प्रवृति वाला व्यक्ति होकर कभी भी कुछ भी हादसा कर सकता है। अतः वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वाद के पेरा 1 मे वर्णित आराजी संख्या 1403/2148 रकबा 0.25 है0 पर बदिशा उत्तर की तरफ की 0.20 है0 आराजी का कब्जा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे एवं प्रतिवादी को बेदखल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.11.2014 को प्रतिवादी नं0 1 एवं पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 08.02.2016 को प्रतिवादी नं0 2 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 1 का कायम मुकाम प्रार्थनापत्र पेश किया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। संशोधन उनवान एवं कायम मुकाम की तलबी के आदेश दिये गये। दिनांक 30.11.2016 को प्रतिवादी नं0 1 के कायम मुकाम की तलबी हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 06.02.2017 को संशोधन उनवान पेश किया गया जो शामिल पत्रावली हो। दिनांक 07.02.2018 को प्रतिवादी नं0 1/1 महावीर की तलबी पूर्व मे हो जाने एवं एक तरफा कार्यवाही के आदेश 30.11.2016 को हो जाने से प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र बिलिया पर दिनांक 20.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। मौके पर वादी मोहनलाल का शपथपत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सवंत 2068 से 71 ग्राम समेलिया प0ह0 समेलिया तहसील शाहपुरा खात संख्या 268 कुल किता 03 रकबा 1.01 है0 वादीगण के संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। मौका पर्चा भू–अभिलेख निरीक्षक बोरड़ा दिनांक 31.05.2014 अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 1403/2148 रकबा 0.25 है0 मे से 0.20 है0 उत्तरी दिशा पर प्रतिवादी नं0 1 नारायण पिता भेरू चमार नि0 समेलिया का कब्जा होना बताया है। उक्त मौका पर्चा से वाद की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम समेलिया प0ह0 समेलिया तहसील शाहपुरा की आ0न0 1403/2148 रकबा 0.25 है0 मे से 0.20 है0 के उत्तरी दिशा का कब्जा वादीगणों को प्रतिवादी नं0 1/1 से विधिवत दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को केम्प बिलिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

1–5 रामकरण,मोहन,रामचन्द्र,महादेव,चान्दू पिता खाना चमार नि0 समेलिया तहसील शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

1– नारायण पिता भेरू चमार नि0 नि0 समेलिया तह0 शाहपुरा (मृतक)
1/1 महावीर पुत्र नारायण चमार नि0 समेलिया तह0 शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0ए0
मुकदमा नम्बर 103 सन् 2014

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम समेलिया प0ह0 समेलिया तहसील शाहपुरा की आ0न0 1403/2148 रकबा 0.25 है0 मे से 0.20 है0 के उत्तरी दिशा का कब्जा वादीगणों को प्रतिवादी नं0 1/1 से विधिवत दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 20 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner